Non-Payment of various dues by private telecom companies

122. SHRI GAYA SINGH:
SHRI J. CHITHARANJAN:

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is fact that the Comptroller and Auditor General of India has named eleven private telecom companies for non-payment of various dues to Government and asked the DoT to investigate the matter as soon as possible; and

(b) if so, the details thereof and the action taken by Government thereon?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI RAM VILAS PASWAN): (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House.

(a) Yes, Sir.

(b) C and AG in his report No.6 of 2000 for the year ended March, 1999 has highlighted 11 cases of non-payment/non-recovery of various types of dues. One case pertains to non-payment of compensation to the tune of Rs. 1.80 crores by a private operator for damage to DoT's cable network at various places. As per the revised estimates on the work, the actual amount recoverable is Rs. 61.64 lakhs. Of these Rs. 39.31 lakhs have been recovered. The remaining 10 cases relate to the delayed recovery of dues, such as rent for leased circuits and other facilities, and various interconnection and maintenance charges. The dues pointed out by audit in these cases were Rs. 122.92 lakhs. Of this, Rs. 103.41 lakhs stands recovered (for 7 cases). The balance of the dues pending (in 4 cases) is being pursued for recovery. The details are furnished in the enclosed Statement.

The question was actually asked on the floor of the House by Shri J. Chitharanjan.

Statement

Amount Pointed out by Audit, Amount Billed and the Recovery Effected.

(Figure in lakhs of Rupees)

Sl. No.	Name of the Company	Recoveries to be effected as per Audit	Amount billed as per actual short recovery assessed by the Deptt.	Recovery effected	Balance to be recovered	Nature of dues
1.	Bharati Telenet	179.65	61.64	39.31	22.33	Compensation for damage to DoT cable
2.	BPL Wireless Telecom Services	9.10	4.15	4.15	—	Rent for two data circuits
3.	Escotel Mobile	13.00	8.19	8.19	—	Rent for connectivity to TAX
4.	Reliance Telecom	9.71	33.33	33.33	—	Rent for interconnection charges
5.	Hutchinson MAX	23.34	14.20	1.24	12.96	Rent for 13 leased circuits
6.	Modi Korea Telecom	4.19	3.60	3.60	—	Rent for junctions beyond three years from the effective date of licence

7.	Usha Martin Telecom	—	0.69	0.69	—	As at 6 above
8.	ABC Communications	—	0.90	0.90	—	As at 6 above
9	Hexa Com. India	12.27	8.00	—	8.00	Maintenance charges for end link
10.	Aircell Digilink	—	4.92	—	4.92	As to 9 above
11. (i)	BPL US West Cellular	26.97	26.97	26.97	—	Rent for leased streams
11. (ii)	BPL US West Mobile Services	24.34	24.34	24.34	—	Rent for PSTN link
		302.57	**190.93**	**142.72**	**48.21**	

SHRI J. CHITHARANJAN: In the C and A.G's report it is stated that cases in various circles have revealed short billing amounting to Rs. 1.23 crores. When it was pointed out by the Audit Department, only Rs. 59.50 lakhs could be recovered. Why could the balance amount not be recovered?

Sir C. and A.G. had also recommended that investigation will have to be conducted to find out the reasons for short recovery of charges from the private licensees and to fix responsibility for delay in billing incorrect computation of charges. I would like the hon. Minister to let me know whether this investigation has been conducted. If so, have they identified the persons responsible for committing this mistake and what action has been taken against them?

श्री राम विलास पासवान: सर, यह सवाल जो केबल गाड़ा जाता है, उससे संबंधित है। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उस पॉलिसी के मुताबिक अब प्राइवेट ऑपरेटर्स भी सब जगह केबल गाड़ने का काम कर रहे हैं और केबल गाड़ने के दरम्यान जो क्षति होती है, यह सवाल टेलीकॉम डिपार्टमेंट द्वारा उस क्षति की रिकवरी के बारे में है। सी०ए०जी० ने जो अपनी रिपोर्ट दी है, उसमें जो आकलन है, वह डिपार्टमेंट की रिपोर्ट से ही ली गई है लेकिन इसमें एक शुरुआत की रिपोर्ट preliminary रिपोर्ट होती है, जिसमें क्षति का प्रारम्भिक एस्टिमेट लगाया जाता है। उस क्षति के आकलन के बाद दोनों पार्टियां — गवर्नमेंट साइट और प्राइवेट ऑपरेटर्स — मिलकर उसका अध्ययन करते हैं और उसके बाद ऐक्युरेट पता चलता है कि कितना लॉस हुआ है। इसमें 2,25,00,000 का लॉस दिखलाया गया था। डिपार्टमेंट के द्वारा ही माना गया था कि व्यापक पैमाने पर क्षति हुई है और उस क्षति के कारण पूरे के पूरे केबल को बदला जाएगा, लेकिन बाद में जब दोनों पार्टियों ने — प्राइवेट और डिमार्टमेंट के लोगों ने — वहां जाकर (मेनली यह मध्य प्रदेश सर्किल का है) जांच की तो पाया कि वह क्षति 2,25,00,000 की नहीं है, केवल 61 लाख की है और उस 61 लाख के अगेंस्ट 39 लाख रुपया उनसे रिकवर कर लिया गया है। बाकी का सिर्फ 22 लाख रिकवर करने के लिए उनसे कहा जा रहा है और उन्होंने इसके लिए वायदा भी किया है।

SHRI J. CHITHARANJAN: Sir, while criticising the migration package, the C. and A.G. has stated that the Exchequer will face an additional loss of Rs. 1153 crores on its decision to give across the board extension of six months on basic and cellular services.

I would like to know from the hon. Minister whether the

Government has examined this observation made by the CAG and, if so, what the conclusion is that the Department has arrived at.

श्री राम विलास पासवान: यह प्रश्न मूल से संबंधित नहीं है क्योंकि सी०ए०जी० का पूरा का पूरा एक वॉल्यूम रिपोर्ट है लेकिन आपने जो प्रश्न स्वीकार किया है वह सिर्फ इतना ही है कि क्या यह सच है कि भारत के नियंत्रक महालेखा-परीक्षक ने सरकार को देय विभिन्न राशियों का भुगतान न करने वाली 11 गैर-सरकारी दूरसंचार कंपनियों के नाम बताए हैं और दूरसंचार विभाग से इस मामले की शीघ्र जांच करने के लिए कहा है? यह जो मामला है, यह बहुत ही लिमिटेड मामला है और यह मामला उन जगहों को लेकर है जहां डैमेज हुआ है यह मामला उस डैमेज की क्षतिपूर्ति के संबंध में है। इसलिए मैं समझता हूं कि यह प्रश्न जो माननीय सदस्य ने उठाया है, वह इससे संबंधित नहीं है।

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, I would like to draw the attention of the Minister to certain figures. In fact, while replying to the first supplementary, he has mentioned that the initial assessment of loss is Rs. 2.25 lakhs. But so far as the statement is concerned, with reference to the annexure, in the case of Bharti Telenet, at Sr. No. 1, the amount is Rs. 179.65 lakhs. Here, he has rounded it off to Rs. 180 lakhs, My question is: From where does this amount of Rs. 2.25 crores or Rs. 225 lakhs, which he had referred to in the first supplementary, come? In respect of the 11 cases, which have been listed in the annexure, there is no such figure. The total figure is Rs. 3.02 crore. The moot question, the important question, is this. This Audit is first reporting. They are getting the figures from the Department. When you are making your assessment about the loss caused to the Department, the Audit is coming to certain conclusions on the basis of the assessment which the Department has made, and thereafter the Department makes a revised estimate in consultation with the party concerned, as the Minister has stated. The original assessment of the Department was Rs. 180 lakhs and on the basis of it, the Audit made a comment. There is such a big variation. One can understand that, if the variation is five per cent or ten per cent or fifteen per cent. The amount of Rs. 180 lakhs has come down to Rs. 61 lakhs, almost one-third of the initial assessment. Not only that, but in some cases it is getting increased also. In the case of Reliance Telecome, at Sr. No. 4, the original estimate, which was commented on by the Audit, was Rs. 9.71 lakhs and the revised estimate was Rs. 33 lakhs. The amount of Rs. 9 lakhs was increased to Rs. 33 lakhs

and the amount of Rs. 180 lakhs was reduced to Rs. 61 lakhs. Why is there such a serious variation? After all, P and T Audit is well known and they have the expertise. They have the internal experitise over the years by the bifurcation of the Audit and Accounts. Now, the audit system and the accounting system in the organisation should be strengthened. It has its own accounting arrangement for a long time. Why is there such a huge discrepancy? Will the Minister through some light on it?

श्री राम विलास पासवान: सर, मैंने थोड़ी लाइट पहले डाली थी, अब और लाइट डालने की कोशिश करूंगा। मैंने कहा था कि उसमें और इसमें अंतर आएगा। अंतर इसलिए आएगा कि जब हम केबल को बदलेंगे तो उसका रेट दूसरा होगा और यदि हम केबल की मरम्मत करेंगे तो उसका रेट दूसरा होगा। जैसाकि मैंने शुरू में कहा कि जब डैमेज हुआ तो डिपार्टमेंट ने उसका ,आकलन किया और डिपार्टमेंट को लगा कि पूरा का पूरा केबल बदला जाएगा तो उसके लिए डिपार्टमेंट ने आकलन किया कि 2 करोड़ 25 लाख रुपए का खर्च इस पर आएगा। लेकिन जब दोनों तरफ के लोग गए और दोनों तरफ से आलकन हुआ तो पता लगा कि केबल बदलने की जरूरत नहीं है, केवल मरम्मत की जरूरत है। इसलिए उसका खर्चा एक चौथाई लगेगा। इस तरह यह खर्चा आया करीब 61 लाख रुपए।

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, जिस समय दूरसंचार क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोला गया था, उस समय यह उम्मीद जताई गई थी कि टेलीकॉम सिनेरियो में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन आएंगे और बहुत जल्दी हिन्दुस्तान का दूरसंचार परिवेश बदल जाएगा। लेकिन आज इतने वर्षों के बाद जब हम स्थिति का आकलन करते हैं तो बहुत अफसोसनाक स्थिति सामने आती है।

प्राइवेट ऑपरेटर्स अपने कमिटमेंट पूरे नहीं कर रहे हैं। उन्होंने नए केबिल तो क्या बिछाने थे डी॰ओ॰टी॰ के द्वारा बिछाए गए केबिल को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और उस नुकसान की भरपाई में देरी कर रहे हैं, डिफाल्टर हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि ये प्राइवेट ऑपरेटर्स अपनी कमिटमेंट पूरी करें, उसके लिए क्या उपाय कर रहे हैं, क्योंकि देश का टेलीकॉम सिनेरियों बिल्कुल स्टेगनेट हो गया है? लगता है जैसे ठहर गया है और इस ठहराव को हम तभी पूरा कर सकते हैं जब ये प्राईवेट ऑपरेटर्स अपनी कमिटमेंट पूरी करें। तो मैं जानना चाहती हूं कि मंत्री महोदय इस बारे में क्या कर रहे हैं?

श्री राम विलास पासवान: जो संचार क्रांति है वह थोरोफेयर नहीं है। यही एक

डिमार्टमेंट है जो पहले से वर्ल्ड में क्रांति कर रहा है और इसका सबसे बड़ा सबूत है कि ...(**व्यवधान**)

श्री गुलाम नबी आज़ाद : हिन्दुस्तान को छोड़कर।

श्री राम विलास पासवान : नहीं-नहीं, हिन्दुस्तान को छोड़ करके नहीं और मैं आपको कहना चाहता हूं कि उसमें से जवाब नहीं आता है लेकिन जब आपने छेड़ दिया है तो आप समझ जाइए कि हमारे देश में 585 डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स हैं, और 15 अगस्त तक जो हमने लक्ष्य रखा है, हम उस लक्ष्य को पूरा करने जा रहे हैं। Each and every district will be connected by the Internet. और दिसम्बर, 2000 तक, हमारे देश में जो छः हजार ब्लॉक हैडक्वार्टर्स हैं उन सारे के सारे ब्लॉक हैडक्वार्टर्स को जोड़ने का काम करेंगे। ...(**व्यवधान**)

श्रीमती सुषमा स्वराज : सभापति महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए। ...(**व्यवधान**) सवाल टेलीफोन का है, जवाब इंटरनेट पर है।

श्री राम विलास पासवान: सर, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्या ने जो प्रश्न किया है उसके बारे में मैंने कहा कि क्रांति हो रही है, टेलीफोन में भी क्रांति हो रही है। मैन्युअल से शुरू किया है और डिजिटल तक पहुंच गए हैं, इंटरनेट मीडिया तक पहुंच गए हैं। लेकिन सर, जहां तक सवाल प्राईवेट आपरेटर्स का है, हम इसके लिए कठोर से कठोर रास्ता अपना रहे हैं। जहां तक केबिल गाड़ने का सवाल है, अभी पी०एम० कार्यालय से पी०एम० के सैक्रेटरी ने पिछली 20 जुलाई को मीटिंग बुलाई थी। टेलीकॉम कमीशन के चेयरमैन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है। यह मामला जो है राइट आफ वे का है, और इस राइट आफ वे में हम चाहते हैं कि एक या दो कॉमन डक्ट बने और उस कॉमन डक्ट में जहां भी नेशनल हाईवे हो, स्टेट हाईवे हो उसमें पहले से ही डक्ट को बिछा दिया जाए और जितने लोगों को उसमें से केबिल डालना हो वह केबिल डालें, अलग-अलग रंग का केबिल हो जिससे उनकी पहचान कायम हो, जैसा विदेशों में भी है और इस संबंध में हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि अगर मच्छर काटेगा तो हम शेर को तो नहीं मार सकते। लेकिन जिसके लिए जो पनिशमेंट होता है उस पनिशमेंट की व्यवस्था की गई है और उनसे पनिशमेंट लिया भी जा रहा है।

श्री संजय निरुपम: चेयरमेन सर, मैं सुषमा जी के प्रश्न को ही आगे बढ़ा रहा हूं। इन्होंने सारी कम्पनियों के नाम बताए, उन पर कितना ड्यूज है यह भी बताया और किसने कितना दिया यह भी बताया। अब ऐसी बहुत सारी कम्पनियां हैं जिन्होंने कुछ पेमेंट नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं कि उनसे रिकवरी की क्या कोई डेड लाइन तय की है? अगर ये कम्पनियां पेमेंट नहीं करती हैं तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करने की व्यवस्था है और आपने क्या कार्रवाई की है? अगर आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं और इतना बोलकर निकल जाते हैं कि

हर जिले को हमने इंटरनेट से जोड़ दिया है, तो जिन कम्पनियों ने पेमेंट किया है उन्होंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। बी०पी०एल०, एस्कोटेल कम्पनियों ने तो अपने पूरे ड्यूज दे दिए हैं। और जिन्होंने नहीं दिए हैं आप उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं और दूसरे, पेमेंट को वसूलने की डेड लाईन क्या है?

श्री राम विलास पासवान : सर, मैंने कहा है कि जिन कम्पनियों पर बकाया है वह उनसे वसूला जा रहा है। यदि आप प्रश्न के जवाब को देखेंगे तो उसमें कुल मिलाकर के बकाया 48 लाख रुपये का है। यह इतना बड़ा डिपार्टमेंट है और 48 लाख रुपया इस मद में बकाया है, उस बकाया की वसूली के लिए हम प्रयत्नशील हैं और उन्होंने इसका वायदा किया है। अगर वह वायदाखिलाफी करेंगे, तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।

श्री अमर सिंह : सभापति जी, किस तरह से बेसिक और सेलुलर पर बकाया है, यह इस प्रश्न के अन्दर नहीं आता है जैसा मंत्री जी ने कहा है। यह मेरे संज्ञान में नहीं आ रहा है। मेरी समझ से 3780 करोड़ रुपया बेसिक और सेलुलर का अभी तक विभाग में बकाया है, तो क्या उसके बारे में मंत्री जी बतायेंगे? क्या यह सच है कि एक ओर बेसिक सेलुलर को डिपार्टमेंट ने फीस लेकर के आबंटित किया है? और दूसरी ओर बेसिक और सेलुलर को ओपन करने की पालिसी भी बनाई जा रही है, क्या इसलिए लोग पैसा नहीं दे रहे हैं?

श्री राम विलास पासवान : सर, इसमें यह प्रश्न नहीं आता है।

श्री गुलाम नबी आजाद : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि टेलीकाम में रिवोल्युशन विश्व में आया है। मैं मानता हूं कि विश्व में रिवोल्यूशन आया है, लेकिन भारत में नहीं आया है। मैं तीन दिन श्रीनगर में था और उसकी मिसाल बता रहा हूं। मैं कल की मिसाल बताता हूं। जम्मू-काश्मीर के भूतपूर्व प्रधान मंत्री सादिक साहब होते थे और मुझे उनके बेटे रफीक सादिक से बात करनी थी। उनका टेलीफोन इंगेज जा रहा था। इसलिए मैंने 198 से बात करी, उन्होंने मुझे कहा कि आप 180 पर बात करिए। मैंने 180 मिलाया तो उसने कहा कि 197 से बात करिए। मैंने कहा कि 197 तो टेलीफोन नम्बर के लिए होता है तो उसने फिर छह डिजिट वाला नम्बर दे दिया। अल्टीमेटली सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक पांच घंटे में मेरी बात नहीं हो पाई। तीन बजे मेरी फ्लाइट थी। फिर मैंने अपने ब्रदर इन ला को टेलीफोन लगवाया। उनको भी स्टीरियो टाइप यही जवाब मिला और मैं बात नहीं कर पाया। यह तो अलग बात है। मैं यह भी आईडेंटीफाई नहीं कर पाया कि कौन-सी एजेंसी उसका जवाब देती। कल से मै तीन डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर्स, that is, Doda district headquarters in Jammu, Rajouri district headquarters, Poonch district headquarters, Jammu Province and Sopore in Baramullah, से बात नहीं कर पाया हूं। कल के तीन चार बजे से इस वक्त तक मैं इन जगहों पर अपने सीनियर लीडर्स से बात नहीं कर पाया हूं। मंत्री जी इंटरनेट की बात कर रहे हैं। हमारी तो कई-कई एसटीडी फोन

से डिस्ट्रिक्ट हैडक्वाटर में बात नहीं हो पा रही है और पता नहीं ये कौन से रिवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। यह बात मैं जानना चाहता हूं।

श्री राम विलास पासवान : सर, इन्होंने सजेशन दिया है और इन्होंने शिकायत भी की है। शिकायत के बारे में हम निश्चित रूप से अपन रिकार्ड में जाकर के देखेंगे। जो भी हमारी क्रांति हुई है वह हमने आपकी विरासत से लेने का काम किया है।

सर, एक समय था जब यहां पर टेलीफोन का प्रश्न उठता था, मैं भी 22-23 साल से लोक सभा में हूं, तो हर मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट खड़ा हो जाता था कि मेरा टेलीफोन काम नहीं कर रहा है। बरसात के महीने में तो बहुत ज्यादा शिकायतें आती थीं। वह वैसी शिकायतें उतनी नहीं हैं, लेकिन कुछ शिकायतें हैं और उन शिकायतों को हम निश्चित रूप से देखेंगे। मैंने एक्शन भी लिया है। मैंने कई बार कहा है कि यदि हम अपने टेलीफोन कर्मचारियों के हित में काम करते हैं तो वे भी अच्छा काम करें। अगर वह काम नहीं करते हैं तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। हम निश्चित रूप से इस मामले को देखने का काम करेंगे।

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, the Minister has contended here that the views of the CAG on the migration package has no relationship, whatsoever, with the question that has come under notice. I totally disagree with him. So far as the migration package was concerned, the CAG observed that the manner in which the Government has handled that issue, and subsequently behind-the-back of the Parliament the way they have legitimised the default of the private companies, that is unheard of, and in the light of that that will have an impact on the department itself. Mr. Pranab Mukherjee was raising this question as to how under-assessment has been there, and on the question of speed of recovery also, if the Government itself is prepared in terms of the so-called decision of the Cabinet, behind the back of the Parliament, to forego the rightful claims of the Government, is it not impacting on the Department also? Is that not related to the question of the migration package, the whole ethos that has been created by the Government to really let the private sector escape from its responsibilities and commitments?

श्री राम विलास पासवान: सर, मैंने पहले ही कहा कि सी०ए०जी० का पूरा का पूरा वॉल्यूम है। जो प्रश्न है वह 11 कम्पनीज़ से संबंधित है कि 11 कम्पनीज़ के पास कितना बकाया है? माननीय सदस्य अगर अलग से प्रश्न पूछें और आप उसको स्वीकार कर लें तो मुझे उसका जवाब देने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

SHRI RAMA MUNI REDDY SIRIGIREDDY: Sir, I would like to know from the hon. Minister whether there is any proposal before the Government to open up the national long-distance telecom sector for the private sector. If so, by when?

श्री राम विलास पासवान: प्रधान मंत्री ने ऑलरेडी घोषणा कर दी है कि 15 अगस्त से हम इसको करने जा रहे हैं और इस संबंध में हम पूरी छानबीन कर रहे हैं।

Staff strength in Income tax offices in Delhi

*123. SHRI S. RAMACHANDRAN PILLAI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the staff strength of Income-tax offices in Delhi has decreased considerably while the number of tax payers in Delhi has almost doubled in the past five years; and

(b) if so, the reasons for the failure of Central Board of Direct Taxes (CBDT) to look into the problems of depleting staff strength and unfilled vacancies in various offices in view of a massive increase in the workload over the past few years?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI V. DHANANJAY KUMAR): (a) While it is true that the number of tax payers has increased, it is not correct to say that the staff strength has decreased.

(b) Does not arise.

SHRI S. RAMACHANDRAN PILLAI: Sir, the Minister has stated that the number of tax payers has increased during this period. I would like to know from the hon. Minister whether the Central Board of Direct Taxes has imposed any ban on filling up of the vacancies, inlcuding promotional vacancies.

SHRI V. DHANANJAY KUMAR: Sir, the direct answer of the question would be 'no'. As the hon. Minister is aware, there is a general ban on recruitment for the purposes of filling up of vacancies as also for increasing the strength of the staff. But, Sir, since the hon. Member in his main question has expressed his concern about the